भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3731

(17 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सुविधाएं

3731. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास याजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत निर्मित आवासों के लिए बिजली, पेयजल और गैस कनेक्शन आदि का पूर्ण पैकेज देने का विचार है और यदि हां, त तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में सभी हितधारकों की बैठक बुलाई गई थी और एक विस्तृत याजना बनाई गई है तथा यदि हां, त तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सुविधाएं लाभार्थी क घर सौंपते समय प्रदान की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, त सरकार द्वारा अगले तीन वर्षों में याजना के कार्यान्वयन में कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): वर्ष 2022 तक ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य क प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय 01.04.2016 से प्रधान मंत्री आवास याजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) कार्यान्वित कर रहा है जिसका लक्ष्य सभी आवासहीन परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों क बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-जी के तहत द चरणों में 2.95 कराड़ मकान बनाने का लक्ष्य है अर्थात चरण-।

(2016-17 से 2018-19 तक) 1.00 कराड़ मकान और चरण-।। (2019-20 से 2021-22 तक) में 1.95 कराड़ मकान।

पीएमएवाई-जी के तहत मकान का न्यूनतम आकार भाजन पकाने के लिए स्वच्छ स्थान के साथ 25 वर्ग मीटर है। इस याजना के तहत इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों 1.20 लाख रु. तथा पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 1.30 लाख रु. है। इसके अलावा, लाभार्थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारंटी याजना (मनरेगा याजना) से 90/95 श्रमदिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी प्राप्त करने के हकदार हैं। शौचालय के निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा याजना अथवा वित्तपाषण के किसी अन्य समर्पित स्रात के साथ तालमेल के माध्यम से सहायता जुटानी हाती है। पाइप के माध्यम से पेयजल, बिजली कनेक्शन, तरल पैट्रालियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन इत्यादि के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यक्रमों के तहत तालमेल भी किया जाता है।

(घ): पीएमएवाई-जी के तहत केन्द्र और राज्य सरकार के बीच वित्तपाषण की पद्धति मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में है, जबकि जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों सहित पर्वतीय राज्यों में वित्तपाषण पद्धति 90:10 है तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र सरकार 100 प्रतिशत सहायता देती है। वर्ष 2020-21 से 2021-22 में 70 लाख तथा 65 लाख लक्षित मकान बनाने के लिए क्रमश: 57,330 कराड़ रु. और 53,235 करा रु. की केन्द्रीय निधि की आवश्यकता है।

****